



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान व्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी०१० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-४९२००५ (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-०७७१-२२८२५३०, २२८५५९० ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. एडी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र०- छग०/दुर्ग/चूप०-४२/रायपुर

खान कोड: ३८ छ०ग० ०५००९

दिनांक:— ०९/०९/२०१९

प्रति,

श्री सुशील कुमार वाली, होल टाइम डायरेक्टर एवं नॉमिनेटेड ऑनर,
सर्वश्री जे० के० लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड,
एफ/२५७८, अंसल्स पालम विहार,
गुडगाँव - १२२ ०१७

विषय:-

छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी सेमरिया चूनापत्थर खदान क्षेत्रफल ३.०९६ हें० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक १४/०८/२०१९ को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री बी० एल० भाटी, वरिष्ठ महाप्रबंधक एवं श्री प्रवीन सिंह, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:—

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यूरा
Rule 33	०४ nos. of boreholes drilled during the F.Y. 2017-18 have not been incorporated in the Geological Plan and Sections.

०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के नियम ६२ के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली २०१७ के अंतर्गत:—
(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
०३. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपराक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से ४५ दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान व्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

- खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान व्यूरो, नागपुर-४४०००१
- संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
- श्री डी० के० मेहता, वॉइस प्रेसीडेन्ट एवं ऐजेंट (माईन्स), ग्राम-मलपुरी खुर्द, खसारीडीह, पोस्ट- अहिरवारा, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)- ४९० ०३६

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान व्यूरो, रायपुर